



महोबा पुलिस

दिनांक- 08.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 836/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 08.10.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





महोबा पुलिस

सर्किल नगर, थाना कोतवाली नगर महोबा।

दिनांक- 08.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 837/26

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा शशांक सिंह के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 शाहजहां अली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने केश नं0 1182/2021 धारा 138 NI ACT से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त सिद्धगोपाल पुत्र स्व0 परमलाल उम्र 52 वर्ष निवासी सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत सुभाष से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। बाद गिरफ्तारी वारंटी अभियुक्त सिद्धगोपाल उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सिद्धगोपाल पुत्र स्व0 परमलाल उम्र 52 वर्ष निवासी एसपी आवास के पास सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शाहजहाँ अली थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा
2. उ0नि0 महेश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा





दिनांक- 08.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 838/26

महोबा पुलिस

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित, आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आगामी त्यौहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 08.10.2026 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी सदर महोदय के साथ थाना कोतवाली नगर परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना क्षेत्र के संभ्रान्त नागरिकों, ग्राम प्रधानों, व्यापारियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया।

बैठक के दौरान आगामी शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा/विजयादशमी सहित अन्य पर्वों के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 11 अक्टूबर से तथा विजयादशमी/दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

क्षेत्राधिकारी नगर एवं उप जिलाधिकारी सदर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए पर्वों को आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई। साथ ही सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने के लिए जागरूक किया गया।

बैठक में दुर्गा प्रतिमा स्थापना, पूजा पंडालों, धार्मिक आयोजनों, जुलूस एवं विसर्जन कार्यक्रमों के दौरान निर्धारित मार्ग एवं नियमों का पालन करने, यातायात व्यवस्था में सहयोग करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक भीड़ न लगाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि पर्वों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों पर निगरानी तथा कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस द्वारा समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई।

अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों, व्यापारियों एवं संभ्रान्त नागरिकों से पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

बैठक के अंत में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सभी आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की गई तथा उपस्थित लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।





महोबा पुलिस

दिनांक- 08.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 839/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न, बाल संरक्षण एवं गुमशुदा बच्चों की बरामदगी पर दिया गया विशेष बल

आज दिनांक 08.10.2026 को जनपद महोबा की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रभावी एवं सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही पॉक्सो अधिनियम-2012 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली-2020 के अंतर्गत पीड़ित बालक/बालिकाओं के चिकित्सीय परीक्षण, संरक्षण, बयान एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाहियों को संवेदनशीलता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक के दौरान गुमशुदा/अपहृत बालक-बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी, बरामदगी के उपरांत आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण, संबंधित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत बयान, बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुतिकरण तथा प्रकरणों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।

बाल कल्याण समिति महोबा द्वारा थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को धारा 137/87 बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में बालक/बालिका के प्रारूप (क) एवं (ख) का अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि—

- गुमशुदा बच्चों से संबंधित प्रकरणों में त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह की रोकथाम हेतु क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही एवं जागरूकता सुनिश्चित की जाए।
- पॉक्सो अधिनियम एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्रकरणों में पीड़ित बालक/बालिका के चिकित्सीय परीक्षण, संरक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध एवं विधिसम्मत रूप से पूर्ण की जाए।
- बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बालक/बालिका के प्रस्तुतिकरण तथा निर्धारित प्रारूप (क) एवं (ख) के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
- विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं का समय रहते निराकरण करते हुए आवश्यकतानुसार उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए।

बैठक में माननीय किशोर न्याय बोर्ड महोबा के सदस्य, बाल कल्याण समिति महोबा, अभियोजन कार्यालय महोबा, मुख्य चिकित्सालय महोबा, सीएमएस महिला जिला चिकित्सालय महोबा, आरपीएफ महोबा, जीआरपी महोबा, बेसिक शिक्षा कार्यालय महोबा, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट महोबा, वन स्टॉप सेंटर, स्वास्थ्य विभाग, चाइल्ड लाइन महोबा, महिला थाना/एसजेपीयू प्रभारी सहित जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

बैठक के उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा नव-निर्मित महिला थाना का निरीक्षण किया गया तथा थाना परिसर, व्यवस्थाओं एवं आवश्यक संसाधनों का जायजा लेते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।





महोबा पुलिस

सर्किल नगर, थाना कबरई

दिनांक- 08.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 840/26

थाना कबरई की पुलिस टीम ने नाबालिग/बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त भेजा गया जेल...।

दिनांक: 07.10.2026 को थाना कबरई क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जनपद के उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला एवं बालिका सम्बन्धी अपराध के प्रकरण में संवेदनशीलता से कार्यवाही करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कबरई में मु0अ0सं0 221/26 धारा 65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गौड के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराह कां0 धर्मेन्द्र कुमार व कां0 राहुल तिवारी द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त चन्दन सिंह पुत्र छोटे सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम गुगौरा, थाना कबरई, जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

चन्दन सिंह पुत्र छोटे सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम गुगौरा, थाना कबरई, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.SHO श्री संतोष कुमार सिंह
- 2.कां0 धर्मेन्द्र कुमार
- 3.कां0 राहुल तिवारी

